



# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 167 / सि0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2020

दिनांक 15.07.2020

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,  
श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय,  
महरीपुर, बस्ती।

**विषय-** स्नातक स्तर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय में मानकानुसार प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदन, बैलेन्स सीट, गत तीन वर्षों का 60 प्रतिशत परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण-पत्र पूर्ति करा लिये जाने के कारण सत्र 2020-21 अर्थात् 01.07.2020 से स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय, तथा महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन किया जायेगा अन्यथा ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय, महरीपुर, बस्ती को स्नातक स्तर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 अर्थात् दिनांक 01.07.2020 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश सं0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंत दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका सं0 81589/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को संशर्त सम्बद्धता आदेशों में इगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा-तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


भवदीय

  
कुलसचिव

पत्रांक - तददिनांक।

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि0वि0वि0, सिद्धार्थनगर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

  
कुलसचिव